महत्वपूर्ण एवं खास

दसवीं अंग्रेजी परीक्षा : 18755 परीक्षार्थियों में 1151 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

रायगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा के तहत 5 मार्च को अंग्रेजी विषय की परीक्षा संपन्न हुई। जिले में 18 हजार 755 परीक्षार्थी संख्या दर्ज की गई थी। जिसके लिए 400 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। जिसमें से 17 हजार 604 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाई। 1151 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में कहीं भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

95 लाख रूपये लेकर माल सप्लाई नहीं कर धोखाधड़ी की कंपनी मालिक के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। ज्योडान क्लोराईड एक्सट्रेक्ट केमिकल का व्यवसाय करने का सौदा कर 95 लाख रूपये लेकर मॉल की सप्लाई नहीं कर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक कंपनी के मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। राजेन्द्र नगर थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रितेश जायसवाल 38 वर्ष निवासी प्रियदर्शनीनगर न्यू राजेन्द्रनगर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि एसीआईसी फार्मा एवं सागर इंटरप्राइजेस के मालिक अरूणा सिंह एवं खाता धारक ने 26 नवंबर 2021 से 02 दिसंबर 21 के मध्य आरोपी ने प्रार्थी से योडान क्लोराईड एक्सट्रेक्ट केमिकल का व्यवसाय करने का सौदा कर उससे 95 लाख रूपये प्राप्त किये। रूपये लेने के बाद भी आरोपी ने मॉल की सप्लाई नहीं की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कंपनी मालिक के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

अवैध रूप से रखे 50-50 लीटर डीजल के साथ 5 गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने 05 लोगों को 50-50 लीटर अवैध डीजल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमित सिंह राजपूत 31 वर्ष, नीरज यादव 45 वर्ष, राजेश मौर्य 48 वर्ष, प्रकाश दास 29 वर्ष एवं रमेश चंद्र 52 वर्ष शामिल है। आरोपियों के खिलाफ धारा 285 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

बबलू हत्याकांड मामलें में आरोपियों को उम्रकैद की सजा

रायपुर (आरएनएस)। वर्ष 2017 राजधानी के मुजगहन थानाक्षेत्र के सेजबहार में हुए बहुचर्चित बबलू उर्फ इरफान हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद यासिन, शेख गुफरान, मोहम्मद आसिफ और शेख समीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि मुजगहन थाने क्षेत्र में 16 जून 2017 की रात को अपनी कार में जा रहे संजयनगर के इरफ ान बबलू उर्फ बबलू डॉन (40) की आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोली बबलू कनपटी पर मारी गई थी। इरफ ान किसी की बर्थडे पार्टी में शामिल होने सेजबहार गया था। वहां से लौटते समय सूनसान इलाके में दो बाइक में आए चार युवकों ने उसका रास्ता रोककर हमलावरों में से किसी ने पिस्टल निकाली और कनपटी के पास रखकर फ ायर कर दिया था। गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए थे। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक ने बबलू को जिला अस्पताल पहुंचाया लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी। इसी मामलें में आज कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद यासिन, शेख गुफरान, मोहम्मद आसिफ और शेख समीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

स्टेशन चौंक पर नशीली इंजेक्शन बेच रहा युवक गिरफ्तार, 135 नग इंजेक्शन, बिक्री रकम व बाइक जब्त

○ एसपी अभिषेक मीणा के जनदर्शन पर दिये निर्देशों पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

रायगढ़। गत दिनों दुर्गा चौक, जूटमिल में आयोजित जनदर्शन पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा वार्डवासियों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं, शिकायतों का निराकरण किया गया था। जनदर्शन में वार्ड पार्षदों तथा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों द्वारा नवयुवकों द्वारा प्रतिबंधित एवं नशीली इंजेक्शन का उपयोग करने की बात एसपी मीणा के संज्ञान में लाया गया था जिस पर एसपी मीणा द्वारा जनदर्शन में उपस्थित एडिशनल एसपी लखन पटले एवं सीएसपी योगेश कुमार पटेल को नशीली दवाई और इंजेक्शन बेचने वालों पर मुखबिर लगाकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा क्षेत्र में अपने मुखबिर एवं स्टाफ को नशा करने वाले युवकों पर निगाह रखकर उन्हें नशीली दवाईयां बेचने वालों के संबंध में जानकारी जुटाने निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 04/03/2022 के रात्रि करीब 21:00 बजे थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबीर से सूचना मिली कि स्टेशन चौंक रोड़ के पास एक व्यक्ति नशीली दवाइयां इन्जेक्शन बिक्री के लिये घूम रहा है। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी थाने की उप निरीक्षक मानकुंवर व हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ कार्रवाई के लिये रवाना हुये। स्टेशन चौंक पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये हुलिए अनुसार संदेही व्यक्ति जो मोटर सायकल होण्डा सीडी 110 CG 13 X-4094 के पास खडा था जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम बरेन हलदर पिता रविन्द्र हलदर उम्र 25 वर्ष साकिन संजय नगर बैंक कालोनी बोइरदादर थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ का रहने वाला बताया। जिसे एनडीपीएस कार्रवाई की जानकारी लेकर उसके मोटर सायकल पर टंगे थैला को विधिवत चेक किया गया। जिसके बैग में 27 पैकेट Butraum-2 इंजेक्शन (USP-2MG प्रत्येक पैकेट में 55 नग) कुल 135 नग मात्रा 135 ML कीमती 1458/ रूपये व 650/ रूपये नगद बिक्री रकम मिला। आरोपी द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से इंजेक्शन की बिक्री करना बताया जिससे 27 पैकेट Butraum2 इंजेक्शन कुल 135 नग ,बिक्री रकम और मोटर सायकल की जप्ती कर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 22 (ख) NDPS Act के तहत कार्रवाई कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।

रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली टीआई मनीष नागर के साथ उप निरीक्षक मान कुवंर, प्रधान आरक्षक नंद कुमार सारथी, आरक्षक लखेश्वर पुरसेठ, प्रेम सिंह राठिया, विनोज लकडा की शामिल थे।

चाकू दिखाकर लोगों को डरा रहे दो युवकों पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाई

○ स्टेशन चौक के पास दोनों मचा रहे थे उत्पात

रायगढ़। दिनांक 05/03/2022 को प्रात: पेट्रोलिंग दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर को मुखबिर से सूचना मिला कि स्टेशन रोड़ पर दो लड़के आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर भयभीत कर रहे हैं। थाना प्रभारी कोतवाली तत्काल थाना की पेट्रोलिंग पार्टी को मौके पर पहुंचने का निर्देश देकर स्टेशन चौक के लिये रवाना हुये। जहां स्टेशन चौंक पर पहुंची कोतवाली पुलिस स्टाफ द्वारा सुरक्षा पूर्वक दोनों लड़कों को चाकू लहराते पकड़ा गया जिनके पास से धारदार चाकू की जब्ती की गई है।

आरोपियों के कृत्य पर दोनों आरोपी (1) गुलशन सारथी पिता विजय सारथी उम्र 22 वर्ष निवासी चिराईपानी थाना कोतरारोड (2) प्रमोद चंद्रा उर्फ टेडगा पिता ननकी चंद्रा उम्र 20 वर्ष निवासी सोनूमुड़ा चौकी जूटमिल थाना कोतवाली पर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर CJM कोर्ट रायगढ़ रिमांड पर भेजा गया है।

कोतवाली थाने में किशोर बालक पर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की रिपोर्ट

○ अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर पेश किया किशोर न्याय बोर्ड

रायगढ़। दिनांक 05.03.2022 को थानाक्षेत्र में निवासरत महिला उसकी नाबालिग लड़की के साथ चक्रधरनगर में रहने वाले अमित (परिवर्तित नाम) द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। नाबालिग मामले में कोतवाली पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुये शीघ्र अपचारी बालक को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।

पीड़ित बालिका की महिला बताई कि पिछले साल रक्षा बंधन के दिन लड़की घर से कहीं चली गई थी जिसे खोजबीन कर रहे थे कि दूसरे ही दिन लड़की घर में फोन कर बतायी कि चक्रधरनगर का अमित बहला फुसला कर ओड़िशा भगा कर ले आया है। तब दोनों लड़का-लड़की को ओड़िशा से वापस लेकर आये। लड़की बतायी कि अमित शादी करूंगा कहकर बहला फुसला कर भगाकर ओडिशा ले गया था और जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया। लोक लाज एवं समाज के डर के भय से उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराये और दोनों को समझाये कि आगे न मिले पर दिनांक 01 मार्च महाशिवरात्रि के दिन अमित घर के पास आया और नाबालिग लडकी को फिर भगाकर ले जाने वाला था जो घरवालों को देखकर भाग गया। लड़के के हरकतों परेशान हो गये हैं। लड़के के विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी दिये गये आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 448/2022 धारा 363, 366, 376 IPC 4,6 Pocso Act का अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा अपचारी बालक की पतासाजी के लिये स्टाफ चक्रधरनगर रवाना किया गय, स्टाफ द्वारा अपचारी को चक्रधरनगर क्षेत्र से हिरासत में लेकर थाना लाया गया। कोतवाली पुलिस अपचारी को आज ही किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया है, जहां से विधि के साथ संघर्षरत बालक को बाल सम्प्रेक्षण गृह भेजा गया है।

नक्सलियों ने सडक़ निर्माण कार्य में लगे वाहनों को किया आग के हवाले

जगदलपुर। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। जानकारी के मुताबिक़ सडक़ निर्माण कार्य में लगे 5 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद इलाक में दहशत का माहौल बन गया है। जिले के मर्रापी और कलमुच्चे मार्ग में सडक़ निर्माण कार्य चल रहा था। इस बीच कुएंमारी एरिया कमेटी के नक्सली सन्गठन ने निर्माण कार्य में लगे हाइवा, जेसीबी, मिक्चर मशीन को आग के हवाले कर दिया। वहीं कांकेर एसपी शलभ सिन्हा के मुताबिक कांकेर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने 5 गाडिय़ों को आग के हवाले किया है, जिसमें 1 जेसीबी, 2 मिक्चर मशीन, 2 हाईवा को नक्सलियों ने आग के हवाले किया है।

कोरोना काल में बिहान की टीम ने निभायी अपनी महती जिम्मेदारी-सीईओ डॉ.मित्तल

○ बिहान टीम ने मनाया स्नेह सम्मेलन

रायगढ़। विकासखण्ड तमनार के राबो पंचायत स्थित वनक्षेत्र में सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल की उपस्थिति में पूरा बिहान टीम एकत्रित हुआ। इस अवसर पर सीईओ डॉ.मित्तल ने बिहान के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की और समाधान हेतु अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान बिहान की टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपेक्षा से भी अधिक कार्य करके दिखाया, जो सराहनीय है। उन्होंने सभी बिहान टीम को कोरोना काल के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की। आप सभी के प्रयास से आने वाले समय में ग्रामीण महिलाएं सशक्त होंगी और गांव से लेकर देश-दुनिया में अपनी नाम रोशन करेंगी।

इस मौके पर अलग-अलग विकासखण्डों ने अपनी-अपनी कलात्मक प्रस्तुति पेश की। घरघोड़ा की पीआरपी की महिलाओं ने बिहान गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रायगढ़ से रोशनी दुबे ने बस्तरिया गीत तो फिरोज व अनिल ने गजल गाकर सबका मनमोह लिया। प्रभारी अधिकारी महेश पटेल ने बिहान पर अपनी स्वरचित कविता जय बिहान जय बिहान.. सुनाकर खुब हंसाया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने आगामी पर्व रंगो का त्यौहार होली के लिए सभी को रंग-गुलाल लगाकर एक-दूसरे को बधाईयां एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रभारी अधिकारी, डीएमएम, डीपीएम, एपीओ, जनपद पंचायत तमनार, धरमजयगढ़, खरसिया से जनपद सीईओ, 6 विकासखण्डों के बीपीएम व बिहान के कैडर उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया फ्रेण्ड्स की धमकी पर महिला को चुकाने पड़े 25 हजार रुपए

○ महिला के पति को व्हाटसअप चैट, फोटो भेजने की ब्लैकमेलिंग कर वसूला रकम

○ पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने बिलासपुर से किया आरोपी को गिरफ्तार

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीना, एडिशनल एसपी लखन पटले तथा सीएसपी योगेश कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर नगर निरीक्षक मनीष नागर द्वारा महिला संबंधी संवेदनशील अपराध में एक बार फिर गंभीरता दिखाते हुये पीड़ित महिला के आवेदन पर आरोपी के विरूद्ध छेड़खानी, यौन उत्पीड़न, उद्दापन का अपराध पंजीबद्ध कर अपराध कायमी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 04.03.2022 के देर शाम कोतवाली थाना क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाली महिला एक सिरफिरे व्यक्ति की शिकायत लेकर आयी और बताई कि उसकी कारस्तानी से उसके दांपत्य जीवन में खटास आ गई है। पीड़ित महिला बताई कि उसकी शादी पिछले साल रायपुर के युवक से हुई है। शादी के बाद अपने ससुराल में अच्छे से रह रही थी। दिनांक 17.04.2020 को मोबाईल नम्बर 950211XXXX का धारक अनुराग भारती फेसबुक पर फ्रेंड रिक्यूस्ट भेजा था। चूंकि जब रायगढ़ में पढ़ रही थी, तब अनुराग भारती उसका सीनियर छात्र था, जिस कारण उसके रिक्यूस्ट एक्सेप्ट की फिर अनुराग फेसबुक मैसेंजर में मैसेज करने लगा। इसी दौरान व्हाट्सएप नम्बर मांगा जिसे व्हाट्सएप नम्बर दी। व्हाटसअप पर अनुराग बातचीत के साथ अश्लील मैसेज भेजने लगा और शादी करुँगा कहकर दबाव बनाने लगा। महिला उसे ऐसा करने पर मना की तो अनुराग और अश्लील मैसेज करने लगा और फोटो, चैट मैसेज पति को भेज दूंगा कहकर धमकाने और रूपयों की मांग करने लगा। तब महिला उसे 25,000 रूपये दी और पति को कुछ मत बताना बोली। पीड़िता बताई कि जब अपनी मां के इलाज के लिये रायगढ़ आई। तब अनुराग उसके पति के मोबाइल पर कॉल कर अनाप-शनाप कहकर दोनों के व्हाटसअप चैट, फोटो भेज दिया। इसके कारण पति-पत्नी के बीच रिस्तों में दूरियां आ गई है। अनुराग भारती के खिलाफ उचित कार्यवाही के लिये महिला द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर थाना प्रभारी कोतवाली मनीष नागर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 442/2022 धारा 354(ख), 384, 509(ख) IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर तत्काल कोतवाली पुलिस की एक टीम आरोपी गिरफ्तारी के लिये बिलासपुर रवाना किया गया जिनके द्वारा आरोपी - अनुराग भारती पिता चन्द्रकांत भारती उम्र 38 साल निवासी बृहस्पति बाजार बिलासपुर को बिलासपुर से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया। जिसे आज दिनांक 05.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मादक पदार्थ हेरोईन के साथ पंजाब के 3 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) के साथ पंजाब के 03 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार सवार में आरोपियों से 22 ग्राम हेरोईन चिट्टा जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये आंकी गयी है।

पुलिस अधिकारियों ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 04 मार्च को एंटी क्राईम टीम एवं थाना आमानाका की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत टाटीबंध स्थित नया बायपास रोड नंदनवन जाने के रास्ते पास एक कार में कुछ व्यक्ति सवार है, जो अपने पास कुछ मादक पदार्थ रखें है तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर सायबर सेल एवं थाना आमानाका की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए उक्त स्थान पर जाकर वाहन की पतासाजी कर वाहन को चिन्हांकित किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा वाहन के पास जाकर देखने पर पाया गया कि वाहन में तीन व्यक्ति सवार है। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम सुखदेव पिता बचन सिंह 40 साल निवासी ग्राम ढुढाला थाना कथूनांगल जिला अमृतसर पंजाब, जसप्रीत पिता बुटा सिंह 35 वर्ष पता ग्राम तलवण्डी दसोदा सिंह थाना कथुनांगल जिला अमृतसर पंजाब एवं सिमरनजीत पिता सरदार अर्जुन सिंह 34 वर्ष पता ग्राम तलवण्डी दसोदा सिहं थाना कथूनागंल जिला अमृतसर पंजाब का होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा तीनों की तलाशी लेने पर उनके पेंट की जेब से 22 ग्राम मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 02 लाख 50 हजार रूपये आंकी गयी है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आई-20 कार क्रमांक पी बी/02/सी डी/4957 जप्त किया है।

विद्यालय विकास के निर्णय में एसएमसी की सक्रिय भागीदारी व स्वामित्व विषय पर हुई परिचर्चा

○ विद्यालय का चहुंमुखी विकास एसएमसी, अभिभावकों व प्रधानपाठकों के समन्वित प्रयास व सक्रियता से ही सम्भव है

रायगढ़। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार शाला प्रबंधन समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत विकासखंड रायगढ़ के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठकों के चार दिवसीय प्रशिक्षण के तृतीय चरण का 5 मार्च को शासकीय माध्यमिक शाला ननसियां रायगढ़ में शुभारंभ हुआ। तृतीय चरण के प्रथम दिवसीय प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि के रूप में विकासखंड रायगढ़ के विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक मनोज अग्रवाल की सहभागिता रही। शाला प्रबंधन समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय चरण का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ, शासकीय प्राथमिक शाला जोरापाली के प्रधान पाठक आशीष रंगारी की प्रस्तुति छत्तीसगढ़ के राजगीत अरपा पैरी के धार के साथ हुआ।

उक्त प्रशिक्षण में शासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला के प्रधान पाठकों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्य अतिथि मनोज अग्रवाल ने कहा कि विद्यालय का चहुंमुखी विकास एसएमसी, अभिभावकों व प्रधान पाठकों के समन्वित प्रयास व सक्रियता से ही सम्भव है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 के प्रावधान के अनुसार विद्यालयों में समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति शिक्षकों एवं अभिभावकों का एक साझा मंच है। माता-पिता या अभिभावक सही रूप में अपने बच्चों को उचित साधन, सुविधाए एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सके इसके लिए आवश्यक है कि माता-पिता या अभिभावक विद्यालय प्रबंधन के निर्णय में सहभागी बने। विद्यालय विकास में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी एवं विद्यालय का स्वामित्व समुदाय में निहित हो यही इस प्रशिक्षण की मूल भावना है। परिचर्चा में शामिल प्रधान पाठक भुवन लाल पटेल ने कहा कि शाला प्रबंधन समिति की सक्रियता विद्यालय के विकास के लिए जरूरी है इसके लिए प्रधान पाठकों को शाला प्रबंधन समिति के साथ सतत संवाद और समन्वय बनाए रखना बेहद जरूरी है क्योंकि प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन एवं शैक्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए शाला प्रबंधन समिति की सक्रियता तथा विद्यालय प्रबंधन में उनकी भूमिका व स्वामित्व बेहद महत्वपूर्ण है। शासकीय प्राथमिक शाला जोरापाली के प्रधान पाठक आशीष रंगारी ने परिचर्चा के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक संस्था के अपने आदर्श लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। और उसकी सफलता पूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जिससे एक संगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था सुनिश्चित होती है। किसी प्रभावशाली प्रबंधन के द्वारा ही विद्यालय का प्रभावी व बहुमुखी विकास संभव हो पाता है। किंतु इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधान पाठक की क्योंकि प्रधान पाठक विद्यालय का केन्द्र बिन्दु होता है और विद्यालय चहुंमुखी प्रगति मूलत: प्रधान पाठक की प्रबंधन क्षमता, योग्यता, विशेष प्रतिभा व नवाचारी सोच पर निर्भर करती है, वह अध्यापक और स्थानीय समुदाय के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है और एक प्रशासक, वित्तीय प्रबंधक, लेखाकार, निरीक्षणकर्ता आदि की समन्वित भूमिका का निर्वहन करते हुए समय-समय पर अभिभावकों शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय की नूतन योजनाओं के संबंध में विचार-विमर्श करते हुए छात्र-छात्राओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा साधन सुविधा हेतु वह एक सशक्त मेंटोर की भूमिका का निर्वहन करता है।

शाला प्रबंधन समिति के उक्त प्रशिक्षण सह परिचर्चा कार्यक्रम में विकासखंड रायगढ़ के धनागर, कुसमुरा, डोंगीतराई, गोरखा, कुलबा और बायंग संकुलों के प्रधान पाठक सम्मिलित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर के रूप में नेतराम सारथी, शंकर प्रसाद साहू, नेतराम राठिया, प्रधान पाठकों में लक्ष्मीकांत पटेल, खगेश्वर प्रसाद साहू, नरेश नायक, चतुर्भुज पटेल, चेतन चौधरी, सूरज कश्यप, भूपेंद्र पटेल, दामोदर पटेल, रामकुमार पटेल, राधेश्याम पटेल, तेजकुमार पटेल, योगेंद्र कुमार पटेल, लक्ष्मी पटेल, ज्योति चौहान, कपिलदेव चौहान, जितेंद्र महंत, ताराचंद सिदार, ज्येरधा डनसेना, रामस्वरूप पटेल, जयश्री दीवान, सविता पटेल, भानुप्रताप बड़ा आदि उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480